न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 244/2023

अनवान : –

1. रामनिवास पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. दयाराम पुत्र हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
2. सन्दीप पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
4. सन्तो देवी पुत्री हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
5. विमला पुत्री हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
6. विद्या पुत्री हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
7. चावली पत्नी हरपत जाति जाट निवासी नहराना तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
9. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 16/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 125/124 के ख0न0 250 की 15.7680 हैक्ट भूमि में से 12733/15768 हिस्सा भूमि हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का दादा है हरपत पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका हरपत पुत्र उदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण है जो की हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण अनुचित तरीके से हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूरणीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नहराना तहसील नोहर के खाता स0 125/124 के ख0न0 250 की 15.7680 हैक्ट भूमि में से 12733/15768

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि वर्तमान में हरपत के नाम दर्ज है एवं हरपत का देहान्त हो चुका है इसलिए उक्त भूमि विरासतन दर्ज होनी है विरासतन दर्ज होने के बाद सायल का हक हिस्सा बनता है। मृतक के नाम भूमि दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण को प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञाा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी नही है। शेष अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की प्रार्थी का दादा है सहीराम पुत्र हरपत पुत्र उदाराम का देहान्त हो चुका हे। हरपत पुत्र उदाराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण है जो की हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। लेकिन अप्रार्थीगण अनुचित तरीके से हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहते है अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी इसलिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मुताबिक उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हरपत पुत्र उदाराम के नाम दर्ज है जो की प्रार्थी का दादा है का देहान्त हो चुका है अर्थात वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मृतक के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अप्रार्थीगण के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज ही नहीं है इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 04.10.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/02/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:23 IST
Reason: SelfAttested